

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

क्रमांक... 25-05-18 ... वनाम... सतीष मस्तो ...

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्यवाही
	<p>अगिलेख सं०-एम.....<u>69</u>...../2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी <u>सिनागुरु</u> के अप्राथमिकी सं०-<u>13/18</u> दिनांक-<u>12-5-18</u> प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>विद्याल समा उप-उनाब के दौरान अज्ञात जिला के संभावना</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अगिलेख तिथि <u>25-05-18</u> को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><u>f</u></p> <p>कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><u>f</u> <u>25/5/18</u></p> <p>कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> </div> </div> <p align="center"><u>आमिन्तरेण उपस्थापित । दिनांक वना उपस्थापित । दिनांक 15-06-18 को रखे ।</u></p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p><u>f</u> <u>25/5/18</u></p> </div>	

25-05-18

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

तिथि

28-09-18

अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष जवाब दाखिल की दिनांक 22-10-18 को रखे।


28/09/18

22-10-18

अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष जवाब दाखिल करें। दिनांक - 5-11-18 को रखें।


22/10/18

05/11/18

अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष जवाब दाखिल करें। दिनांक - 30/11/18 को रखें।


05/11/18

30-11-18

अभिलेख उपस्थापित। विपक्षी अनुपस्थित। ~~विपक्षी~~ विधान सभा उप-इलाक जतिपूर्वक से सम्पन्न हो गया है। अतः बाह में अभिलेख की कारवाई बन्द की जाती है।


30/11/18